न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

गोपाल पुत्र सांवलाराम कौम कुम्हार
नि० वरिया रूगजी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कुम्भाराम पुत्र सवलाराम
2. टीपू देवी प० — " —
3. ग्राम पंचायत वरिया वेरवा
4. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री गोपाल स्वंय वादी।
2..श्री कुम्भाराम वगैराह प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार, पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 15.12.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 544/255, 549/265 रकबा कुल 106-19 बीघा, सरहद मौजा वरिया रूगजी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम गोबराराम होने से राजस्व रेकर्ड में गोबराराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम गोपाल दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान ... योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रेकर्ड मे अंकित गलत नाम इन्द्राज गोबराराम के स्थान पर गोपाल सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:16 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम गोबरराम के स्थान पर गोपाल दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार, पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255, 549/265 कुल रकबा 106-19 बीघा, सरहद मौजा वरिया रगाणी तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम गोबरराम दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम गोबरराम दर्ज किया गया है वादी का सही नाम गोपाल है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255 व 549/265 कुल रकबा 106-19 बीघा, सरहद मौजा वरिया रगाणी ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम गोबरराम पुत्र सांवलाराम ... के स्थान पर गोपाल पुत्र सांवलाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 **को कोर्ट केम्प कोर्ट** वरिया बेरा **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:16 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO, बालोतरा)